जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 जयपुर

अति आवश्यक
राजस्थान सम्पर्क

यू.ओ. नोट

विषय :–राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज शिकायत का निस्तारण करने बाबत्।

संदर्भ :– उपप्रबन्धक (एमआईएस) दुग्ध संघ जयपुर का पत्रांक 21664–65 दिनांक 18.11.2020 के क्रम में।

परिवाद क्रमांक :– 11201698940980

उपरोक्त विषयान्तर्गत में लेख हैं कि राजस्थान सम्पर्क पर श्री ज्ञानेश कुमार, स्थाई पता – वार्ड नं. 14 जयपुर हेरिटेज, जयपुर द्वारा "दिनांक 22.10.2020 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक दूध को चखकर जॉचा, मामल की जॉच के निर्देश के सम्बन्ध में" शिकायत दर्ज करवाई गई हैं।

उक्त शिकायत के क्रम में सहा. प्रबन्धक (संयंत्र) उपकेन्द्र दौसा से प्राप्त तथ्यात्मक विवरण के अनुसार दूध की गुणवत्ता की जॉच किये जाने हेतु सर्वप्रथम डेयरी डॉक पर Orgenoleptic Test किया जाता है, यह प्रकिया सभी डेयरी विभाग द्वारा अपनाई जाती है। जिसमें दूध प्राप्त करने से पूर्व सूंघने एवं चखने की की प्रकिया अपनाई जाती है, जो पूर्णतया सही है।

संलग्न – सहा. प्रबन्धक (संयंत्र) दौसा से प्राप्त रिपोर्ट।

प्रबन्धक (एफओपी)

क्रमांक :–एफ (3)/जजिदुउससंलि0/एफओपी/2020–21/ 22965 दिनांक : 1/12/20

उपप्रबन्धक (एमआईएस) दुग्ध संघ, जयपुर।

For your perusal please

1-12-20
उप प्रबन्धक (एम.आई.एस.)

M/s sir upload reply

D M(MIS)

प्रबन्धक

दुग्ध अवशीतन केन्द्र–दौसा

<u>यू.ओ.नोट</u>

क्रमांक :– 1105

दिनांक :– 28/11/20

विषय :– आपके पत्र क्रमांक 2021/21729-Date 19/11/2020 के क्रम में।

संदर्भ :– परिवाद क्रमांक–11201698940980 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छपी खबर के सम्बंध में तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:–

दूध की गुणतवा की जांच किये जाने हेतु सर्वप्रथम डेयरी डॉक पर Orgenoleptic Test किया जाता है, यह प्रक्रिया सभी डेयरी विभाग द्वारा अपनाई जाती है। जिसमें दूध प्राप्त करने से पूर्व सूंघने एवं चखने की प्रकिया अपनाई जाती है, जो की पूर्णतया सही है।

दूध जांच प्रकिया विधिसम्मत है, जो की समस्त डेयरी विभाग द्वारा अपनाई जाती है। दिनांक 21.10.2020 को डेयरी के ठेका कर्मचारी श्री नाथू सिंह गुर्जर व श्री ओमप्रकाश गुर्जर द्वारा यह कार्य किया जा रहा था। चूंकि इन कर्मकारों द्वारा दूध प्राप्त करने की प्रकिया का प्रोटोकॉल नही अपनाया गया, फलस्वरूप इन ठेकाकर्मीयों को हटा दिया गया है एवं सुचारू व्यवस्था/प्रकिया अपनाये जाने हेतु निर्देश जारी कर सुनिश्चित्ता की गई है। भविष्य में दूध की ग्रेडिग करने वाले कर्मकारों को समस्त प्रोटोकॉल की पालना हेतु पुनः निर्देशित किया गया है। इस प्रकिया के लिए एक पत्र क्रमांक 19656–57 दिनांक 22.10.2020 का इंचार्ज गुण–नियंत्रण जयपुर डेयरी द्वारा भी प्राप्त हुआ है जिसमें जारी दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना भी सुनिश्चित की जा रही हैं एवं व्यवस्था सुधार हेतु उचित कदम उठा लिया गया है।

आपके समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

सहा.प्रबन्धक(संयंत्र)
दु0अ0के0 दौसा

उपप्रबन्धक ~~(संयंत्र)~~ (P&L)

M/I/C FOP